ग्राम पंचायत भलून, विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176201 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भलून, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति ज्योति देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री बलवन्त सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री मुकेश धीमान	01.04.2022 से 31.05.2023
2	श्री बलकार सिंह	01.06.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री गुरविन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत भलून के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	0.47
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.73
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.78
	6.3	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.28
5	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	2.61
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों रूपये के अनियमित भुगतान	2.08
	8.1	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	15.47
7	8.2	सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.50
8	9	निर्माण कार्यो के अभिलेख प्रस्तुत न करना	14.04
9	10	प्रोफार्मा बिल पर भुगतान करना	15.47
10	11	केवल सादे कागज पर अनियमित व गलत भुगतान करना	5.38
11	12	सामग्री खरीद हेतु संदिग्ध भुगतान करना	0.60

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भलून के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.08.2024 से 21.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत तथा ऑनलाईन रोकड बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	09/2022
2023–24	05/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/370 दिनांक 21.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/349 दिनांकः–12.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	60617.00	594318.48	654935.48	314313.00	340622.48
2023-24	340622.48	408925.00	749547.48	644492.00	105055.48

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1835393.20	7225977.87	9061371.07	7684772.87	1376598.20
2023-24	1376598.20	2560159.61	3936757.81	3063626.61	873131.20

कुल योग (1+2) 105055.48+873131.20 =**978186.68**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईल रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹9,78,186.68/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹9,30,730.68/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र.	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/ वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी/डिपोजिट	का•के•सह•बैंक जस्सूर	20032006176	104742.48
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044138	3116
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044762	27917
4	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50059187839	54551
5	एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044784	30479
6	जेड.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044751	13521

7	13वीं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044740	163
8	14वीं वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100105716759	487.20
9	15वींवित्त / पी.एस / जेड.पी	आई•सी•आई•सी•आई•बैंक जस्सूर	374401000238	695754
	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹930730.68
दिनांक 31.03.2024 को बैंक रोकड़ बही के अन्तशेष में परस्पर अन्तर				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹978186.68
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹930730.68
अन्तरः–				₹47456

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

ANNUAL REPORT

4 (ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.47 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भलून द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹47456/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। परिणामस्वरूप पंचायत के लेखे सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते है एवं इस राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी अंकेक्षण मे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 350 दिनांकः–13.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–16 / ग्रा0प0 भलून / दिनांकः–21.08.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली

करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारे:–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–61 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत भलून के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ,ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते तो अलग–अलग खोले गये थे परन्तु उक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार उन खातो में राशि जमा नहीं करवाई गई, बल्कि स्व स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी., डिपॉजिट, एम.पी.लेड, एम.एम.जी.पी.वाई इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्व.स्त्रोत, 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी. डिपॉजिट, आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एंव निर्देशो के विरूद्व संयुक्त खाता संख्या 20032006176 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा तथा इससे ही व्यय किया गया था जबकि अनुदान वी.के.वी.एन.वाई व एस.डी.पी के खाते 50052044138 तथा 50059187839 अलग से खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/369 दिनांक:–21.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–16/ग्रा0प0 भलून/ दिनांक–21.08.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम बाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार रोकड बही एवं बैंक खातो का का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं नियमों/निर्देशों अनुसार कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान राशि ₹8.73/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/349 दिनांक–12.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि परिशिष्ट–1 व

परिशिष्ट–2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹8,73,131.20/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	3116
2.	आर.जी.एस.ए	31.03.2024	1145
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	27917
4	एस.डी.पी	31.03.2024	54551
5	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	30479
6	जेड.पी	31.03.2024	13521
7	13वॉं वित्त	31.03.2024	161
8	14वॉं वित्त	31.03.2024	487.20
9	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	741754
		कुल जोड	**₹873131.20**

उपरोक्त तथ्य एवं आंकडे स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/351 दिनांक–13.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 16/ग्रा0प0 भलून/दिनांक–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानो की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.78 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत्त (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/349 दिनांकः–12.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹77640/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा पर्याप्त कारणो के बिना वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/357 दिनांक–14.08.2024 द्वारा सूचित किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा0प0 भलून/ दिनांकः– 21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.03/- लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200

(सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी./बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी./बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 09 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से न के बराबर राशि की प्राप्ति की गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹2800 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम प्राप्ति का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2024/357 दिनांक:-14.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भलून के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0066567 द्वारा करके सभा निधि खाता सख्या 20032006176 में दिनांक 19.08.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है। अतः प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06/- लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:- 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व प्रस्तुत संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ग्राम पंचायत भलून द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:-

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022-23	2400
2	2023-24	3400
	योग	**5800**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2024/357 दिनांक:-14.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भलून के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के

कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा०पं० भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.28/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत भलून के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** में दिए गए विवरणानुसार ₹228421/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०का०/2024/361 दिनांकः–19.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा०पं० भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.61/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भलून के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत [redacted] पर संकलित राशि ₹261360/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो मे दर्ज नहीं किया गया अथवा संबंधित रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/360 दिनांकः–19.08.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–16/ग्रा0प0 भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹2.08/– लाख की राजस्व हानि एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप लाखों रूपये के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा [redacted]"8" पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप अंकेक्षणावधि में, चयनित मासों हेतु ₹208445 की सरकारी राजस्व हानि हुई प्रतीत होती है एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय

–समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की अवहेलना से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित हैं।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0बृ0कां/2024/363 दिनांकः–20.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा0प0 भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतु गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था तथा उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियम के विरूद्ध एवं समय 2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

8.1 निर्माण कार्य के निश्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹15.47/- लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत प्रस्तुत संलग्न [redacted]"9" के अनुसार राशि ₹15,47,331 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान "It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction." अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/365 दिनांकः–20.08.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः–16/ग्रा0प0 भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को उक्त पत्र में वर्णित प्रक्रियानुसार सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 समुचित लेखांकन के अभाव में सामग्री खरीद हेतु ₹0.50/–लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करना :–

ANNUAL REPORT

1.निर्माण जीपेवल रोड जन्ज घर से तुलसी राम के घर की ओर वार्ड–3 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2630 के पृष्ठ संख्या 57 व 58 में निर्माण सामग्री, इंटरलॉक टाईल्स का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 34 दिनांक 02.04.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री इंटरलॉक टाईल्स 8316 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹13632 का अधिक भुगतान किया गया था:–

2.निर्माण जीपेवल रोड चैन सिंह पठानिया वार्ड–1 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2727 के पृष्ठ संख्या 89 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 8255 दिनांक 01.04.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 62 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹17094 का अधिक भुगतान किया गया था:–

3.निर्माण अधूरा रास्ता काकू राम के घर से लाभ सिंह के घर की ओर वार्ड 5 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2630 के पृष्ठ संख्या 49,50 में निर्माण सामग्री, बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 68 दिनांक 24.10.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 53 m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹6882/– का अधिक भुगतान किया गया था:–

4.निर्माण तालाब, सुरक्षा दीवार वार्ड 7 क्यारी की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2630 के पृष्ठ संख्या 67 व 68 में निर्माण सामग्री, बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या

87 दिनांक 06.01.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 61m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹5184/– का अधिक भुगतान किया गया था:–

5.निर्माण अधूरे जीपेबल रोड मोहल्ला लम्बरा वार्ड 2 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2630 के पृष्ठ संख्या 47 व 53 में निर्माण सामग्री, रेत व बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 27 दिनांक 25.10.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 25m3 बजरी 30m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खप्त दर्शाने/जारी करने के कारण ₹7350/– का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	मनरेगा	इंटरलॉक टाईल्स	8316	7507	809	16.85	13632
2.	मनरेगा	सीमेंट	62 बैग	20 बैग	42 बैग	407	17094
3.	मनरेगा	बजरी	53m3	48.56m3	4.44m3	1550	6882
4.	मनरेगा	बजरी	61m3	57.75m3	3.25m3	1595	5184
5.	मनरेगा	रेत बजरी	25m3 30 m3	23m3 27m3	2m3 3m3	1350 1550	2700 4650
					कुल योग		50142

वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–

1. Item-2 Interlock paver block =227.5m2 X 33(Tiles Factor) =**7507 Tiles**

2.Item-3 P/L(1:3:6) =4.68m3X 4.40(Cement. Factor) =**20.59 or say 20 Bags**

3.Item-4 ,**1**P/L(1:6:12) =16.87m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) = **15.77m3**

Item-2 P/L(1:3:6) =35.10m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) = **32.79m3**

Total = 48.56m3

4.Item-3,2 P/L(1:5:10) =62.07m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) = **57.75m3**

5.Item-2,4 P/L Interlock Paver Block =243.09m2 X 0.034(Sand. Factor +5%(variation)

= **8.67m3**

Item-3,4,5 P/L(1:3:6) =29.14m3X .47(Sand. Factor +5%(variation) = **14.37m3**

Total Actual Sand =23.04 or say 23m3

Item-3,4,5 P/L(1:3:6) =29.14m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) =27.22m3

Actual Aggregate =27.22 or say 27m3

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/364 दिनांक:-20.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या-16/ग्रा0प0 मलून/दिनांक:-21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति/कर्मचारी व पदाधिकारी से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक व अनियमित भुगतानो की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8.3 सीमेंट खरीद हेतु हि0प्र0 सिविल सप्लाई को ₹0.02/- लाख का अधिक भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है, तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों 09/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित सामान का निम्न विवरणानुसार क्रय किया गया था:-

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	39/01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	42162 (120@351.35)	41921 (103@407)	241
2.मनरेगा	39/01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	59729 (170@351.35)	59422 (146@407)	307

3.मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	59729 (170@351.35)	59422 (146@407)	307
4.मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	18622 (53@351.35)	18315 (45@407)	307
5.मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	73784 (210@351.35)	73667 (181@407)	117
6.मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	35135 (100@351.35)	35002 (86@407)	133
7.मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	35135 (100@351.35)	35002 (86@407)	133
8मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	73784 (210@351.35)	73667 (181@407)	117
9मनरेगा	39 / 01.09. 2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर	सीमेंट बैग	32676 (93@351.35)	32560 (80@407)	116
					कुल योग	1778

उपरोक्त बिल / वाउचरों द्वारा मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई जस्सूर को कुल मिलाकर ₹1778 /– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 369 दिनांक:–21.08.2024 अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–16 / ग्रा0प0 भलून / दिनांक:–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई जस्सूर को किये गये अधिक भुगतान के बारे में उनसे पत्राचार कर लिया जायेगा तथा वसूली का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अधिक किये गए भुगतान हेतु नियमानुसार समुचित सीमेन्ट समायोजन रजिस्टर सहित कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

9 विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹14.04 लाख के अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियन्ता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यो के अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी:-

क.स. व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि ₹	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.आर. जी.एस.ए	01,02/1 9.09.2022	09/ 2022	निर्माण लोक मित्र केन्द्र मलून वार्ड-7	60480	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
2.मनरेगा	55,16,निल /01.09. 2022,05,1 9.06.2023	09/2022, 06/2023	निर्माण कार्य जीपेवल रोड नानक चन्द की जमीन से पुली तक वार्ड-1	149472	बजट प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
3.मनरेगा	56,57/0 1.09.2022	09/2022	निर्माण कार्य जीपेवल रोड पंचायत घर से रविन्दर सिंह के घर की ओर वार्ड-4	230769	प्रस्ताव, बजट प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड-पत्र व माप पुस्तिका
4.मनरेगा	58,59/0 1.09.2022	09/2022	निर्माण सुरक्षा कार्य व जीपेवल रोड/डेन मेन रोड	199264	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश,

			से गौरव,संतोष इत्यादि वार्ड–4		टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड–पत्र व माप पुस्तिका
5.मनरेगा	60,61,निल /01.09. 2022,19. 06.2023	09/2022 06/2023	निर्माण जीपेबल रोड राजपूत मोहल्ला से बरल वार्ड–1	247112	बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड–पत्र व माप पुस्तिका
6.मनरेगा	17,निल/ 05.06. 2023,19. 06.2023	06/2023	निर्माण सुरक्षा कार्य व क्रेट नजदीक जब्बर खड पैल वार्ड–2	38909	माप पुस्तिका
7.मनरेगा	36,37,38,4 2/23.06. 2023,20. 06.2023	06/2023	निर्माण पुली/रास्ता जीप योग्य रोड नजदीक पंचायत घर वार्ड–3	477842	प्रस्ताव, बजट प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड–पत्र व माप पुस्तिका
			कुल योग	**1403848**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत भलून से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/362 दिनांक–19.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्या:–16/ग्रा0प0 भलून/दिनांक:–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय नूरपुर में जमा है, इन अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में जमा करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण

में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अतः हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 मनरेगा अनुदान से राशि ₹15.47/– लाख का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर करनाः–

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों/अनुदानों से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित मास के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलॉक टाईल्स पेवर ब्लॉक्स खरीदने हेतु प्रस्तुत संलग्न [redacted]"9" के अनुसार ₹ 15,47,331/– का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर ही किया गया था। आपूर्तिकर्ता के समुचित मूल बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय उचित नहीं माना जा सकता है। यह एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2024/366 दिनांक–20.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भलून के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा०प० भलून/दिनांकः–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि के मूल बिलो को आगामी अंकेक्षण सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने व तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकरण तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जांच करके पूर्ण तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

11 मनरेगा अनुदान से राशि ₹5.38/– लाख का उचित बिल पर न करके केवल सादे कागज पर अनियमित व गलत भुगतान करनाः–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों/अनुदानो से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित मास के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिय सामग्री खरीदने हेतु प्रस्तुत **परिशिष्ट "10"** व निम्नतालिका के अनुसार ₹ 5,38,424/– का भुगतान उचित बिल पर न करके सादे कागजों पर ही किया गया था तथा इसी में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई थी। आपूर्तिकर्ता के उचित बिल तथा उचित रसीद के अभाव में उक्त व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी । यह एक अत्यंत गम्भीर वितीय अनियमितता है।

अनुदान	अवधि	वाउचर स0 / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	भुगतान राशि
1 वी.के.वी. एन.वाई	2023–24	11 / 26.06.23	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी, वाटर टैंक	105460
2 मनरेगा	2023–24	40 / 23.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी	38780
3 मनरेगा	2023–24	27 / 21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी	127450
4 मनरेगा	2023–24	30 / 21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	बोल्डर	122820
5 मनरेगा	2023–24	31 / 21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी व वाटर टैंक	82870
6 मनरेगा	2023–24	33 / 23.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी	61044
				जोड	**538424**

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 367 दिनांक:–20.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भलून के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्या:– 16 / ग्रा0प0 भलून / दिनांक:–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त से संबंधित उचित बिलों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर

दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल न होने व तथ्यरहित होने के काण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकरण तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य जीपेवल रोड चैन सिंह पठानियां वार्ड 1 के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.60/—लाख का संदिग्ध भुगतान करना:—

ANNUAL REPORT

1.चयनित मास 09/22 के वाउचर संख्या 52 दिनांक 01.09.2022 का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य के लिये पेवर ब्लॉक खरीदने हेतु मै० नवदुर्गा टाईल्स इण्डस्टी तलाडा को बिल संख्या 36 दिनांक 02.04.2022 द्वारा ₹60053 (3564@16.85) का भुगतान किया गया था।

2. उक्त कार्य से संबंधित रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका सख्या 2727 के पृष्ठ संख्या 86 87,88 व 89 पर दर्ज दर्शाई गई थी परन्तु उक्त सामग्री से संबंधित रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका में नहीं पाई गई, जबकि इस सामग्री को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 63 पर प्रधान के नाम से जारी किया गया था। परिणामस्वरूप माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टियां किये बिना ही ₹60053 का संदिग्ध भुगतान किया गया प्रतीत होता है। यह एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2024/368 दिनांक—21.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—16/ग्रा०प० भलून/दिनांक—21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भुगतान माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टिया किये बिना ही किया गया है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त किये गये संदिग्ध भुगतान बारे नियमानुसार पूर्ण तथ्यो सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹43.69/— लाख का अनियमित भुगतान करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब

तक की सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 09/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹43,69,195/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2024/369 दिनांक:–21.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भलून के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 16/ग्रा0प0 भलून/दिनांक:–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" व "9" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलो में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई है:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ,मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2024/369 दिनांक:– 21.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भलून को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर मे पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 16/ग्रा0प0

भलून / दिनांकः—21.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित प्रपत्र—34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 349 दिनांकः 12.08. 2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—16 / ग्रा0प0 भलून / दिनांकः—21.08.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर / अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी। लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास	31	95(1)

	अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर		
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/349 दिनांक–12.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 16/ग्रा0प0 भलून/दिनांक–21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपत्तियां:–

17.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत भलून द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत भलून के चयनित मासो के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतम नियमों व समय 2 पर जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

28 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4873-4877 क्र0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2) 436/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगडा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगडा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भूलन, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगडा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

क्र0/50

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.105)

FINANCIAL POSITION OF GP BHALOON FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	60617.00	594318.48	654935.48	314313.00	340622.48
2023-24	340622.48	408925.00	749547.48	644492.00	105055.48

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1835393.20	7225977.87	9061371.07	7684772.87	1376598.20
2023-24	1376598.20	2560159.61	3936757.81	3063626.61	873131.20

सचिव

ग्रा.प. भलून

checked

ANNEXURE -2 (वैध संख्या - 5.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BHALOON FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	1401.00	321426	322827.00	319803	3024.00
		2023-24	3024.00	92	3116.00	0	3116.00
2	RGSA	2022-23	0.00	500000.00	500000.00	403857.00	96143.00
		2023-24	96143.00	0.00	96143.00	94998.00	1145.00
3	MPLAD	2022-23	26341.00	752.00	27093.00	0.00	27093.00
		2023-24	27093.00	824.00	27917.00	0.00	27917.00
4	SDP	2022-23	17553.00	61062.00	78615.00	25674.00	52941.00
		2023-24	52941.00	1610.00	54551.00	0.00	54551.00
5	MMGPY	2022-23	28759.00	820.00	29579.00	0.00	29579.00
		2023-24	29579.00	900.00	30479.00	0.00	30479.00
6	ZP	2022-23	12758.00	364.00	13122.00	0.00	13122.00
		2023-24	13122.00	399.00	13521.00	0.00	13521.00
7	13TH FC	2022-23	404.00	13.00	417.00	94.00	323.00
		2023-24	323.00	8.00	331.00	170.00	161.00
8	14TH FC	2022-23	458.20	13.00	471.20	0.00	471.20
		2023-24	471.20	16.00	487.20	0.00	487.20
9	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1747719	1147816.00	2895535.00	1741633.00	1153902.00
		2023-24	1153902.00	282265.00	1436167.00	694413.00	741754.00
10	MNREGA	2022-23	0.00	5193711.87	5193711.87	5193711.87	0.00
		2023-24	0.00	2274045.61	2274045.61	2274045.61	0.00

27

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या – 4.1 (2a))

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत भलून के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी / डिपोजिट	का•के•सह•बैंक जस्सूर	20032006176	60617	104742.48
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044138	1401	3116
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044762	26341	27917
4	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50059187839	17553	54551
5	एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044784	28759	30479
6	जेड.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044751	12758	13521
7	13वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50052044740	404	163
8	14वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100105716759	458.20	487.20
9	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	आई•सी•आई•सी•आई•बैंक जस्सूर	374401000238	1480804	695754
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड़.बही के अनुसार)				0
			कुल जोड़.	1629095.20	930730.68

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड

98

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – 6.1)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 तथा 2023–24 में 579 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	68790	579	50	28950	97740	44430	53310
2023–24	53310	579	50	28950	82260	4620	77640
	नोटः– दिनांक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹ 77640/–** है।						

सचिव ग्रा.पं. ...

29

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या है 2")

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून ,विकास खण्ड नूरपुर ,जिला कांगडा हि0प्र0 176201
दिनांक 31.03.2024 को विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष

क्र.स.	नाम	विवाह शुल्क रजि0पृ0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	नितिश कुमार	निल	10.05.2022	निल	400	200	200
2	नरेश कुमार	निल	23.04.2022	30.05.2022	400	200	200
3	अशीष कुमार	निल	20.04.2022	13.06.2022	400	0	400
4	हरवंस कुमार	54291	18.07.2022	निल	400	200	200
5	रोहित कुमार	निल	11.11.2022	निल	400	0	400
6	पंकज कुमार	निल	02.12.2022	निल	400	0	400
7	अमन दीप	निल	27.01.2023	17.02.2023	200	0	200
8	संजीव कुमार	निल	17..02.2020	17.02.2023	400	0	400
9	अली मोहम्मद	निल	18.05.2023	20.06.2023	400	0	400
				कुल	3400	600	2800

सचिव ग्रा.पं. भलून वि.ख. नूरपुर

Checked

30

परिशिष्ट–6 (पैरा संख्या – "8.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2022–23	2400
2	2023–24	3400
	जोड	5800

सचिव
ग्रा.प. भलून
वि.ख. नूरपुर

21

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "7.1", "7.2")

ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	सामग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.RGSA	01,02/19.09.2022	Bricks(with GST)	184,183/19.09.2022	M/S Sonu Trading Co.Madhopur Pathankot	6000	10.08	60480	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई व दो निविदाये प्रस्तुत की गई
2.15TH FC	17,18/02.09.2022	Water cooler Water tank Iron Stand Installation	4471,4470/02.04.2022	M/S Bansal Trading Co.Main Bazzar Jassur	2	39800	79600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई व दो निविदाये प्रस्तुत की गई
3.15TH FC	p/28/23.09.2022	Wall tiles,Floor tiles,Tejab Bottel etc.	312/13.09.2022	M/s Durga Sanitary Store Sadwan Nurpur			48400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.15TH FC	p/30/27.09.2022	Paint	1683/13.09.2022	M/s Aggarwal Agencies main road Jassur Nurpur			25400	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.15TH FC	P/33/27.09.2022	Wall Painting	421/15.09.2022	M/s Mehra Painter Subzi Mandi Jassur	171sq2f	76	12996	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
6.15TH FC	P/31/27.09.2022	Electrical Material	03/15.09.2022	M/s Ravinder Electricals Bhaloon Nurpur			10000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.15TH FC	P/32/27.09.2022	Electrical Material	05/18.09.2022	M/s Ravinder Electricals Bhaloon Nurpur			9000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8.MNREGA	62/01.09.2022	Cement Carriage	55/Nil	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	140	24	3360	एक निविदा प्रस्तुत की गई
9.MNREGA	34/23.06.2023	Cement Carriage	95/03.03.2023	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	103	24	2472	एक निविदा प्रस्तुत की गई
10.MNREGA	39/28.06.2023	Cement Carriage	97/04.03.2023	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	88	24	2112	एक निविदा प्रस्तुत की गई
11.MNREGA	42/20.06.2023	PVC Pipe	2404/04.02.2023	M/s Vikas Hardware Store Gangath Road Thana Jassur	13	1101	14313	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
12.MNREGA	20/20.06.2023	Stone(m3)	68/24.10.2022	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	32	890	28480	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.MNREGA	22/20.06.2023	Cement Carriage	68/24.10.2022	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	181	24	4344	एक निविदा प्रस्तुत की गई
14.MNREGA	79/21.06.2023	Cement Carriage	79/18.12.2022	M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	181	24	4344	एक निविदा प्रस्तुत की गई
						कुल योग	305301	

नोट 1. क्रम संख्या 1, 2, 4 से 11 तथा 13,14 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है

2. क्रम संख्या 1 से 4, 6, 7 तथा 12 की स्टॉक प्रविष्टियों को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया है।

सचिव ग्रा.प. भलून वि.ख. नू.

परिशिष्ट-8 (पैरा संख्या-"7.3")

ग्राम पंचायत भलून, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
15TH FC,MNREGA,VKVNY								
M/s Karan Singh Baral Nurpur	11/26.06.2023	Nil/17.04.2023	Sand	26.000	1.62	42.120	80	3369.60
			Bajri	50.000	1.52	76.000	80	6080.00
do	27/21.06.2023	28/25.10.2022	Sand	29.000	1.62	46.980	80	3758.40
			Bajri	56.000	1.52	85.120	80	6809.60
do	30/01.06.2023	18/27.08.2022	Boulder	138.000	2.24	309.120	80	24729.60
do	31/21.06.2023	27/25.10.2022	Sand	25.000	1.62	40.500	80	3240.00
			Bajri	30.000	1.52	45.600	80	3648.00
do	33/23.06.2023	34/03.03.2023	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	35.840	1.52	54.477	80	4358.14
							Total	58455.74
							25% Penalty	14613.94
							(1)Total	73069.68
M/s Sukhdev Singh Gahin Lagore	p/34/29.09.2022	60/15.09.2022	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	2.000	1.52	3.040	80	243.20
do	62/01.09.2022	55/Nil	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	28.000	1.52	42.560	80	3404.80
do	64/01.09.2022	54/05.04.2022	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	32/21.06.2023	80/18.12.2022	Sand	28.000	1.62	45.360	80	3628.80
			Bajri	29.000	1.52	44.080	80	3526.40
do	34/23.06.2023	95/03.03.2023	Sand	15.000	1.62	24.300	80	1944.00
			Bajri	35.840	1.52	54.477	80	4358.14
do	36,37/23.06.2023	98,99/26.03.2023	Sand	80.000	1.62	129.600	80	10368.00
			Bajri	147.450	1.52	224.124	80	17929.92
			Boulder	8.400	2.24	18.816	80	1505.28
do	39/23.06.2023	97/04.03.2023	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	40/23.06.2023	35/18.03.2023	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
do	41/20.06.2023	76/30.11.2022	Sand	22.000	1.62	35.640	80	2851.20
			Bajri	29.000	1.52	44.080	80	3526.40
do	20/20.06.2023	73/15.11.2022	Sand	20.000	1.62	32.400	80	2592.00
			Bajri	28.000	1.52	42.560	80	3404.80
do	22/20.06.2023	68/24.10.2022	Sand	24.000	1.62	38.880	80	3110.40
			Bajri	53.000	1.52	80.560	80	6444.80
			Stone	32.000	2.24	71.680	80	5734.40
do	79/21.06.2023	79/18.12.2022	Sand	25.000	1.62	40.500	80	3240.00
			Bajri	47.000	1.52	71.440	80	5715.20
do	26/21.06.2023	82/19.12.2022	Sand	18.000	1.62	29.160	80	2332.80
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
do	28/21.06.2023	87/19.12.2022	Sand	25.000	1.62	40.500	80	3240.00
			Bajri	61.000	1.52	92.720	80	7417.60
							Total	108300.54
							25% Penalty	27075.14
							(2)Total	135375.68
							(1+2)G.Total	208445.36

सचिव ग्रा.प. भलून जिला नूरपुर

33.

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

परिशिष्ट–9 (पैरा संख्या – "8.1" व "10")

क.स.	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मस्त	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	NREGA	47/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 41 dt.-02.04.2022	2637	44433
2	NREGA	48/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 40 dt.-02.04.2022	8019	135120
3	NREGA	49/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 38 dt.-02.04.2022	2079	35031
4	NREGA	50/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 37 dt.-02.04.2022	8316	140125
5	NREGA	51/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 36 dt.-02.04.2022	5445	91748
6	NREGA	52/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 35 dt.-02.04.2022	3564	60053
7	NREGA	53/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 34 dt.-02.04.2022	8316	140125
8	NREGA	54/01.09.2022	09/2022	60mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 33 dt.-01.04.2022	7722	130115
9	NREGA	55/01.09.2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 48 dt.-02.04.2022	6000	111000
10	NREGA	56/01.09.2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 47 dt.-	6474	119769

34

अनुज

				02.04.2022		
11	NREGA	57/01.09. 2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 46 dt.-02.04.2022	6000	111000
12	NREGA	58/01.09. 2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 44 dt.-02.04.2022	5000	92500
13	NREGA	59/01.09. 2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 45 dt.-01.04.2022	5771	106764
14	NREGA	60/01.09. 2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 42 dt.-02.04.2022	6200	114700
15	NREGA	61/01.09. 2022	09/2022	80mm(Paver Block) from M/s Nav Durga Tiles Industry Talara Bill No 43 dt.-02.04.2022	6208	114848
				योग		1547331

परिशिष्ट– 10 (पैरा संख्या –"11")

कार्यालय ग्राम पंचायत भलून विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

अनुदान	अवधि	वाउचर स0/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	भुगतान राशि
1 वी.के.वी. एन.वाई	2023–24	11/26.06.23	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी व वाटर टैंक	105460
2 मनरेगा	2023–24	40/23.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत, बजरी	38780
3 मनरेगा	2023–24	27/21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत, बजरी	127450
4 मनरेगा	2023–24	30/21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	बोल्डर	122820
5 मनरेगा	2023–24	31/21.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत, बजरी व वाटर टैंक	82870
6 मनरेगा	2023–24	33/23.06. 2023	मै0 कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार बरल नूरपुर	रेत,बजरी	61044
				जोड	**538424**